◂ 01-28 फरवरी, 2025 ◂ वर्ष : 2 ◂ अंक : 21/22 (संयुक्तांक)

शांति, सुरक्षा और समृद्धि

सजग भारत

निःशुल्क प्रति

सहयोगात्मक शासन व्यवस्था सर्वांगीण विकास की कुंजी

मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदों का बदलता स्वरूप

महाराष्ट्र में बनेगा आदर्श अभियोजन निदेशालय, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए निर्देश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मित तीनों कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो

पीएम की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी दिल्ली, विकास और सुरक्षा पर अधिक जोर

भारतीय संविधान के गौरवपूर्ण 75 वर्ष

भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की है। यह निर्णय हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा और हमारे संस्थापक सिद्धांतों तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाता है, जो संविधान दिवस 26 नवंबर, 2024 से शुरू हुआ। यह समारोह 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' के नाम से जाना जाएगा।

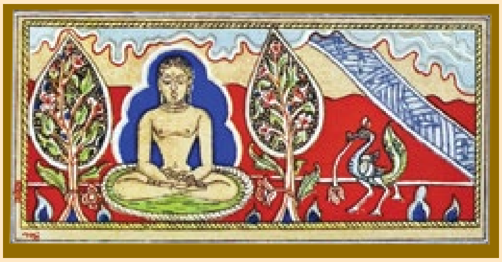

आइए, संविधान में समाहित कलात्मक चित्रणों का अवलोकन करें:

भारतीय संविधान के पहली अनुसूची के भाग 'क' में सम्मिलित राज्यों से संबंधित भाग छह की शुरुआत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए वर्धमान महावीर की मनोरम कलाकृति से होती है। इस कलाकृति को प्रसिद्ध कलाकार जमुना सेन, नंदलाल बोस और राजनीति ने बनाया है।

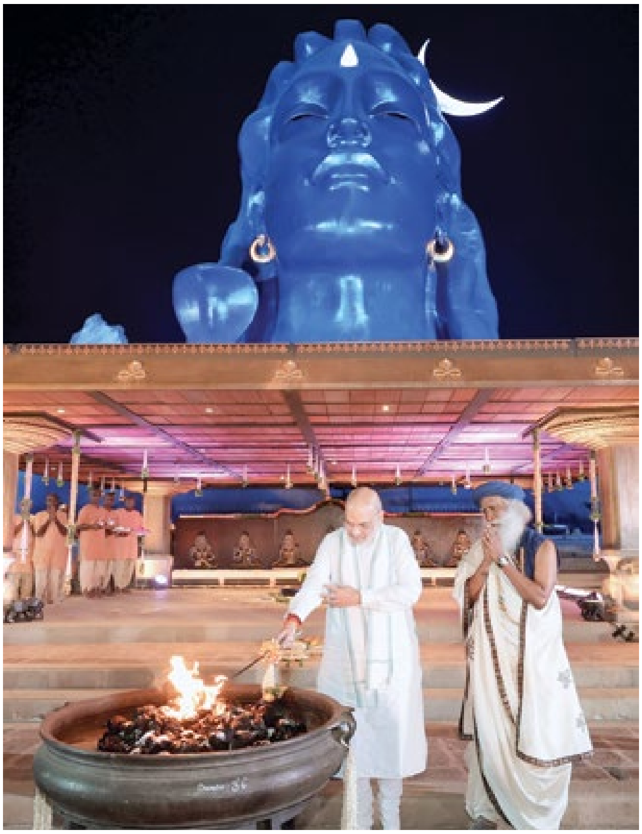

स्व से सर्व, अहम से वयम, संकल्प से सिद्धि और वैराग्य से समाधि तक ले जाता है योग: श्री अमित शाह 18

20
भारत और अमेरिका ने रणनीतिक सहयोग के नए युग की नींव रखी

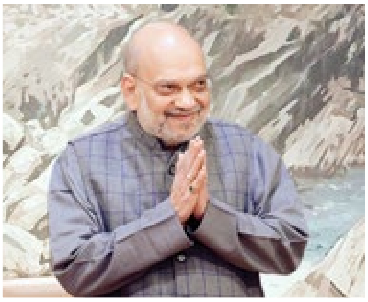

24
साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स का प्रयास जरूरी

महाराष्ट्र में बनेगा आदर्श अभियोजन निदेशालय, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए निर्देश 11
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मित तीनों कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो 13
'वतन को जानो' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक व सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित कराना है 14
पीएम की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी दिल्ली, विकास और सुरक्षा पर अधिक जोर 15
ऊर्जा सुधारों के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण 22
आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का अग्रदूत बना भारत 26
नए आपराधिक कानूनों के तहत सुनवाई हुई तेज 27
तेज गति से प्रगति करता भारत 29
विशेष लेख 30

मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदों का बदलता स्वरूप

आवरण कथा

17 त्रिपुरा सरकार ने वितरित किए 2800 नियुक्ति पत्र

मानवता का भविष्य गढ़ रही है AI 23

अनुक्रमणिका

2014 से हमने देश के युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया है। उसी का नतीजा है कि हमारे युवा आज हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

बजट 2025 गिग वर्करों की समृद्धि का नया अवसर और नया माध्यम भी है। अब गिग वर्कर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होकर न केवल पहचान पत्र पाएंगे, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं से भी लाभान्वित होंगे। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार से रेहड़ी-पटरी वाले UPI से जुड़कर ₹30,000 तक के क्रेडिट कार्ड्स और बैंक से अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जब सत्ता सेवा बन जाती है, तो राष्ट्र का निर्माण होता है, लेकिन जब सत्ता को विरासत बना दिया जाता है, तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

भारतीय कोस्टगार्ड दिवस पर हम अपने समुद्री योद्धाओं के निरंतर साहस और प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। हमारे तटों की सुरक्षा से लेकर समुद्र में जान बचाने तक उनकी सेवा भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करती है। हमारे कोस्ट गार्ड कर्मियों को उनके अडिग सतर्कता के लिए सम्मान और आभार।

श्री बंडी संजय कुमार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक की कलम से...

जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का सिद्धांत सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह विश्वास कि 'मजबूत राज्य ही एक सशक्त भारत की आधारशिला हैं' और अधिक सशक्त हुआ है। क्षेत्रीय परिषदें अब सहयोग और रचनात्मक संवाद की प्रभावशाली मंच बनकर उभरी हैं, जो साझेदारी की शक्ति को सजीव रूप में दर्शाती हैं।

प्रारंभ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करने वाले सलाहकारी मंचों के रूप में की गई थी। लेकिन वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इनकी भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया है और अब ये परिषदें निर्णय-निर्माण, नवोन्मेषी समाधान और सहकारी संघवाद को सशक्त बनाने वाले प्रभावी रणनीतिक मंचों के रूप में विकसित हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के माध्यम से देश ने संवाद, सहभागिता और सहयोग से प्रेरित समावेशी समाधान और समग्र विकास को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।

> केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के माध्यम से देश ने संवाद, सहभागिता और सहयोग से प्रेरित समावेशी समाधान और समग्र विकास को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों ने अभूतपूर्व सक्रियता और प्रभावशीलता का परिचय दिया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन परिषदों की बैठकें पहले की तुलना में कहीं अधिक नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विचार-विमर्श और समस्याओं के समाधान की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जो इन मंचों की बढ़ती उपयोगिता और प्रभाव को दर्शाता है।

केंद्र सरकार ने इन परिषदों को संवाद, नवाचार और समाधान केंद्रित सक्रिय मंचों के रूप में विकसित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की असली शक्ति उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त प्रगति में निहित है। यह रूपांतरण केंद्र सरकार के 'समग्र शासन' (Whole of Government) दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करता है। आज क्षेत्रीय परिषदें सक्रिय मंच बन चुकी हैं, जो स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कुपोषण और खनन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

पिछले एक दशक में क्षेत्रीय परिषदों ने न केवल क्षेत्रीय, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को भी गंभीरता और सक्रियता के साथ उठाया है। इसी दिशा में, फरवरी माह में पुणे में संपन्न 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक—जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की, में कुल 18 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें यौन उत्पीड़न मामलों की शीघ्र जांच, POCSO के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना तथा शहरी मास्टर प्लानिंग जैसे विषय शामिल थे।

वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुरूप क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका लगातार विकसित हो रही है। अब डिजिटल बुनियादी ढांचे और साइबर अपराध जैसे उभरते क्षेत्रों को भी अंतर-राज्यीय परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की संघीय संरचना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त बनी रहे।

'सजग भारत' के इस अंक में हम केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका में लाए जा रहे इस सकारात्मक परिवर्तन को रेखांकित कर रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो आने वाले वर्षों में भारत के संघीय ताने-बाने को नई दिशा देगा और इस विचार 'मजबूत राज्य, सशक्त राष्ट्र' को फिर से प्रबल करेगा। हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। अपने सुझाव कृपया sajag-bharat@bprd.nic.in पर साझा करें।

जय हिंद!

राजीव कुमार शर्मा
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

सहयोगात्मक शासन व्यवस्था सर्वांगीण विकास की कुंजी

मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदों का बदलता स्वरूप

जबसे श्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, क्षेत्रीय परिषदें केवल औपचारिक संस्थान न रहकर परिवर्तन लाने वाले जीवंत मंचों में परिवर्तित हो गई हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ब्यूरो

तेजी से बदलते भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला बनकर उभरी है। यह सिद्धांत है 'मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं', क्षेत्रीय परिषदों के कार्य में गहराई से परिलक्षित होता है, जो अब संवाद, सहयोग और समस्याओं के समाधान के लिए गतिशील मंचों में बदल चुकी हैं।

22 फरवरी, 2025 को पुणे में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

बैठक में इन परिषदों की राष्ट्रीय प्रगति में साझा प्रयासों और सहयोग के माध्यम से निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्रीय परिषदों ने अपनी पारंपरिक सलाहकारी भूमिका से आगे बढ़ते हुए अब सहयोग और निर्णय-निर्माण के लिए सजीव मंच का रूप ले लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन बैठकों के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख उपलब्धियों को साझा करने का अवसर भी मिल रहा है।

संवाद और समग्र विकास का आधार

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक तथा विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता ने साझे प्रयासों की प्रभावशीलता को सशक्त रूप से दर्शाया।

इस बैठक में 18 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनका प्रभाव न केवल संबंधित राज्यों पर बल्कि पूरे देश की नीति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर पड़ता है। इनमें भूमि हस्तांतरण, खनन, खाद्य सुरक्षा के मानकों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों की तेज जांच, POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना और शिक्षा से

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह रेखांकित किया गया कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से सहयोगात्मक शासन व्यवस्था भारत के सर्वांगीण विकास की कुंजी है।

वंचित बच्चों की संख्या कम करने जैसी समाजिक चुनौतियां शामिल थीं। साथ ही इस बैठक में शहरी मास्टर प्लानिंग, सस्ती आवास, निरंतर बिजली आपूर्ति, पोषण अभियान द्वारा कुपोषण उन्मूलन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सुदृढ़ करने जैसे राष्ट्र स्तरीय मुद्दों पर भी व्यापक विमर्श हुआ।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साझा मंच के रूप में इस बैठक ने यह सिद्ध किया कि क्षेत्रीय परिषदें अब नीति निर्माण में नवाचार और समन्वय की स्थायी प्रेरक शक्ति बन चुकी हैं, जिनके जरिये राष्ट्रीय स्तर पर असरदार समाधान विकसित किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय परिषदें: सहयोग के माध्यम से प्रगति की दिशा में

- **संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण:** क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रतीक हैं, जो संवाद को समावेशी और समग्र विकास के लिए कार्यशील परिणामों में बदलने का कार्य करती हैं।
- **भविष्य के लिए तैयार पहले:** तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं और डिजिटल अवसंरचना और साइबर अपराध को अंतर-राज्य परिषद के दायरे में लाने की योजना बनाई गई है।
- **महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा:** कुल 18 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें भूमि हस्तांतरण, खनन, बलात्कार मामलों की त्वरित जांच और POCSO मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान:** शहरी नियोजन, किफायती आवास, निर्बाध बिजली आपूर्ति और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सशक्त बनाने को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी गई है।
- **सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण:** सहकारी समितियां 100% रोजगार के लिए महत्वपूर्ण हैं और राज्यों से grassroots स्तर पर सहकारी अवसंरचना को मजबूत करने का आग्रह किया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान।

क्षेत्रीय परिषदों का सतत विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से क्षेत्रीय परिषदों में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जानकारी दी कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच सिर्फ 25 बैठकें हुईं, जिनमें 469 मुद्दों पर चर्चा हुई और 448 समस्याओं का समाधान निकाला गया। इसके विपरीत वर्ष 2014 से फरवरी 2025 के बीच, कोविड-19 महामारी जैसी वैश्विक आपदाओं के बावजूद, 61 बैठकें आयोजित की गईं, जो लगभग 140% की वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि में 1,541 विषयों पर विचार किया गया और 1,280 मुद्दों का समाधान हुआ, जो 170% अधिक कार्य निष्पादन को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी मोदी सरकार की 'Whole of Government' नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय निर्णय लेने और परिवर्तन लाने वाले मंचों में परिवर्तित कर दिया है।

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अब ये परिषदें केवल परंपरागत सलाहकार भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये अब रणनीतिक नीति-निर्माण इकाइयों में बदल चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को दिशा दी, वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद ने संतुलित एवं समग्र विकास के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है।

पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान देता है और भारत के कुल वैश्विक व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा संभालता है। साथ ही यह क्षेत्र उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रमुख केंद्र बनकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को भी मजबूत सहयोग प्रदान करता है।

प्रमुख चुनौतियों का समाधान

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्र और क्षेत्र की बहुआयामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम चुनौतियों पर मंथन हुआ। श्री अमित शाह ने बताया कि प्रत्येक गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या डाक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। इस उपलब्धि के आधार पर अब यह दूरी

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जहां क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका परामर्शात्मक होती है, वहीं हाल के वर्षों में ये बैठकें विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ पहलों को साझा करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में विकसित हुई हैं। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के माध्यम से देश ने संवाद, सहभागिता और सहयोग के जरिए समावेशी समाधान और समग्र विकास को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।

क्षेत्रीय परिषदें

क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत की गई थी, जो राज्यों के पुनर्गठन की व्यापक योजना का हिस्सा था। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

उत्तर क्षेत्रीय परिषद

इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।

केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद

इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद

इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद

इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

समय की मांग है—सहकारी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। राज्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

घटाकर तीन किलोमीटर करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच और अधिक सुलभ और प्रभावी बन सके। यह उपलब्धि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संयुक्त प्रयासों से हासिल हुई है, जो सामूहिक सहयोग की शक्ति को दिखाती है।

साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियां अब भी सामने हैं। पश्चिमी भारत जैसे समृद्ध क्षेत्रों में भी बच्चों में कुपोषण और अवरुद्ध वृद्धि (stunting) की समस्या बनी हुई है। श्री अमित शाह ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकारों से इन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन की नींव उपचार में नहीं, बल्कि रोकथाम में निहित होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए श्री अमित शाह ने स्कूल से बच्चों के बाहर होने की दर को घटाने और शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने शिक्षा को दीर्घकालिक विकास की आधारशिला बताया। कृषि क्षेत्र में श्री अमित शाह ने देश की दालों के आयात पर निर्भरता को चिंताजनक बताते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी दी कि एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालें सीधे बेचने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। इस ऐप को व्यापक स्तर पर प्रचारित कर और किसानों को इसके माध्यम से जोड़कर, पश्चिमी राज्य भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उभरती चुनौतियों के अनुरूप अनुकूलन

क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। श्री अमित शाह ने डिजिटल अवसंरचना और साइबर अपराध जैसी उभरती समस्याओं के लिए तैयारी करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो जल्द ही इंटर-स्टेट काउंसिल के अधीन आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करके, राज्य डिजिटल दुनिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और समय से पहले तैयारी करके किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं।

क्षेत्रीय परिषदें: विकास के प्रेरक तत्व

- **क्षेत्रीय परिषदों का विकास:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों को सलाहकारी निकायों से निर्णय-निर्माण के रणनीतिक मंचों में बदला गया, जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देती हैं।
- **गतिविधियों में वृद्धि (2014-2025):** 61 बैठकें आयोजित की गईं, 1,541 विषयों पर चर्चा हुई और 1,280 मुद्दों का समाधान हुआ, जो वर्ष 2004-2014 की तुलना में बैठकों में 140% की वृद्धि और विषयों में 170% की वृद्धि को दर्शाता है।
- **पश्चिमी क्षेत्र की आर्थिक महत्वता:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 25% का योगदान और देश के वैश्विक व्यापार का 50% से अधिक हिस्सा, यह क्षेत्र उद्योगों और बुनियादी ढांचे का प्रमुख केंद्र है, जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को समर्थन प्रदान करता है।
- **वित्तीय समावेशन मील का पत्थर:** प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाओं/डाक बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है और इस दूरी को 3 किलोमीटर तक घटाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान:** कुपोषण और रुकावट वाली वृद्धि को समाप्त करने, स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया।

दीर्घकालिक विकास के लिए एक दिशा-निर्देश

श्री अमित शाह ने भारत के समग्र विकास की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मंचों का सही उपयोग करके 100% विकास लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है, जिससे राज्य दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जो अपनी आर्थिक भूमिका और रणनीतिक अवसंरचना के कारण एक आदर्श के रूप में सामने आई है, यह प्रमाण है कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद किस प्रकार परिवर्तनकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

सहकारी दृष्टिकोण

बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री का 'सहकार से समृद्धि' का दृष्टिकोण था। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में 100% रोजगार प्राप्त करने के लिए सहयोग ही मुख्य मार्ग है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सशक्त करना और इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए 56 से अधिक योजनाओं को लागू करना आवश्यक कदम के रूप में चिन्हित किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा से यह अनुरोध किया गया कि वे Grassroots स्तर पर मजबूत सहकारी ढांचा तैयार करें, ताकि सहकारी संघवाद के लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सकें।

मजबूत राज्य, मजबूत राष्ट्र

बैठक में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत को फिर से उजागर किया गया, जो एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद को प्रोत्साहित करके, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करके और एक व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करते हुए, क्षेत्रीय परिषदें इस विचारधारा का पालन करती हैं कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे-जैसे भारत समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये परिषदें समावेशी समाधानों को आगे बढ़ाने, पुराने और लंबित समस्याओं को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी कि हर नागरिक को देश की प्रगति का लाभ मिले।■

क्षेत्रीय परिषदें: मुख्य उद्देश्य

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय है और यह किसी भी विषय पर चर्चा कर सकती है, जिसमें उस परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यों में से कुछ या सभी, या केंद्र और एक या अधिक राज्य, का सामान्य हित हो और इस विषय पर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए सलाह दे सकती है।

मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
- तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि को रोकना
- केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करना
- विकास परियोजनाओं के सफल और तेज क्रियान्वयन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना

विशेष रूप से, एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है:

- आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी विषय
- सीमा विवादों, भाषायी अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्य परिवहन से संबंधित कोई भी विषय
- राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उत्पन्न कोई भी विषय

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

महाराष्ट्र में बनेगा आदर्श अभियोजन निदेशालय, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए निर्देश

महाराष्ट्र में अभियोजन प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श 'डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन' (अभियोजन निदेशालय) की स्थापना करे।

ब्यूरो

महाराष्ट्र सरकार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और न्याय प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से राज्य में एक आदर्श 'डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन' (अभियोजन निदेशालय) की व्यवस्था स्थापित करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 14 फरवरी,2025 को नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐसा करने को कहा है।

यह व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप विकसित की जाएगी। इस निदेशालय की संरचना और कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-समर्थ बनाकर अभियोजन प्रणाली में व्यापक सुधार लाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसके तहत अभियोजकों को नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे जटिल मामलों में शीघ्र और प्रभावी ढंग से न्याय सुनिश्चित कर सकें। यह पहल अभियोजन प्रक्रिया में जवाबदेही, गुणवत्ता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगी, जिससे न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास और भी मजबूत होगा।

उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि जिन अपराधों में सजा सात साल या उससे अधिक की है, उन मामलों में दोषसिद्धि की दर 90 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस, सरकारी वकीलों और न्यायपालिका को मिलकर समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके और न्याय प्रक्रिया में जनता का विश्वास और मजबूत हो।

देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए सरकार संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभियोजन तंत्र को तकनीक-सक्षम, दक्ष और

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह महाराष्ट्र में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक करते हुए।

जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर अभियोजकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे अदालतों में मजबूत और तथ्यों पर आधारित तर्क प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही, डिजिटल साक्ष्य को अदालत में प्रभावी ढंग से पेश करने की क्षमता भी विकसित की जाए।

इस दिशा में महाराष्ट्र की पहल न केवल राज्य को मजबूत करेगी, बल्कि वह अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा। श्री अमित शाह ने संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया है। इन अपराधों से जुड़ी धाराओं का दुरुपयोग न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी और पारदर्शिता बेहद आवश्यक है।

गृह मंत्री ने कहा कि जेलों, सरकारी अस्पतालों, बैंक, और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) जैसे महत्वपूर्ण परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि अपराध और अपराधियों की जानकारी को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से दो राज्यों के बीच FIR ट्रांसफर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र को निर्देश दिया कि वह CCTNS 2.0 और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS 2.0) को पूरी तरह अपनाए और इसके तहत अपनी क्षमताओं को उन्नत करे।

इसके अलावा, गृह मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर अपलोड की जानी चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना कम हो। उन्होंने यह भी कहा कि हर पुलिस थाना इंटरनेट कनेक्टिविटी से पूरी तरह सुसज्जित हो और हर पुलिस सब डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे घटनास्थल पर तुरंत वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।

कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना जरूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने फॉरेंसिक विभाग में खाली पदों की शीघ्र भर्ती पर जोर देते हुए कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना समय की आवश्यकता है, ताकि अपराधों की जांच को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। गृह मंत्री की यह पहल अपराध नियंत्रण को तकनीक और जवाबदेही से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे देश की कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त और आधुनिक होगी।

नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक और पुलिस महानिदेशक श्रीमती रश्मि शुक्ला, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मित तीनों कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो

प्रशासन और सरकार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद नए कानूनों के कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक काम किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 फरवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला सहित राज्यों के अधिकारियों के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने इन कानूनों को अप्रैल 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए तीनों नए कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और प्रभावी बनाने तथा जनता को नए कानूनों से लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को नए सुधारों का अधिकतम लाभ मिल सके।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण और सुरक्षा हालातों में सुधार के बाद अब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial In Absentia) के प्रावधान को तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसका मतलब यह है कि यदि कोई अभियुक्त अदालत में पेश नहीं होता या फरार है, तब भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है और मुकदमे का संचालन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी साबित होती है, जहां आरोपी जानबूझकर न्याय से बच रहा हो, जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध या अन्य गंभीर अपराधों में। सरकार इस प्रावधान का उपयोग कर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषी व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कानून से बच न सके और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से जारी रहे। श्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है।

> **जम्मू और कश्मीर के हर पुलिस स्टेशन को NAFIS के अधिकतम उपयोग को व्यवहार में लाना चाहिए।**
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS का उपयोग अपराधियों की पहचान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संकलित करने में मदद करेगा, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस तकनीक के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें और इसे अपनी कार्यप्रणाली में प्रभावी रूप से लागू करें। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा साथ ही आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से निपटने में सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पुलिस थानों में NAFIS प्रणाली पूरी तरह से लागू हो और जांच अधिकारियों को इसका समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक श्री आलोक रंजन सहित गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।■

नई दिल्ली में 'वतन को जानो' कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर से आए 250 बच्चों के साथ संवाद करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह।

'वतन को जानो' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक व सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित कराना है

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 फरवरी, 2025 को 'वतन को जानो' कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में जम्मू-कश्मीर से आए 250 बच्चों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और आसूचना ब्यूरो के निदेशक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारत की तेज विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता से अवगत कराना था।

श्री अमित शाह ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शांति और विकास के संदेशवाहक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने 'वतन को जानो' को एक प्रभावशाली पहल बताया, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्यधारा से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं और जब यहां के युवा एकता, भाईचारे और समरसता को आत्मसात करेंगे, तभी क्षेत्र में स्थायी और वास्तविक शांति स्थापित हो पाएगी।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में हुए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी ढांचा और मूलभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे अपने गांव लौटकर अपने परिजनों और स्थानीय लोगों को शांति का संदेश दें, उन्हें हिंसा से दूर रहने और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करने के लिए प्रेरित करें।

हमारा देश हमारा घर है। जिस प्रकार हम अपने घर के हर कोने से परिचित होते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश को भी जानना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने 'वतन को जानो' कार्यक्रम की शुरुआत की।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

'वतन को जानो' कार्यक्रम, जो जम्मू-कश्मीर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया, के अंतर्गत 9 से 18 वर्ष की आयु के 62 लड़कियों और 188 लड़कों को–जो समाज के कमजोर वर्गों और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से थे–जयपुर, अजमेर और दिल्ली की शैक्षणिक यात्रा पर भेजा गया।■

पीएम की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी दिल्ली, विकास और सुरक्षा पर अधिक जोर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में कानून व्यवस्था और समन्वय को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

ब्यूरो

देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां लगातार संपर्क में रहती हैं। इस समन्वय को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन सरकार राजधानी को 'विकसित दिल्लीः सुरक्षित दिल्ली' के लक्ष्य की ओर दोगुनी गति से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने, पुलिस प्रशासन में तकनीकी सुधार लाने तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन घुसपैठियों को भारत में प्रवेश दिलाने, उनके दस्तावेज बनवाने और रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क में शामिल सभी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला केवल अवैध प्रवास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाए।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिविजन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

गृह मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस की सेवाओं, जैसे-खोया-पाया पोर्टल, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, चरित्र सत्यापन, ट्रैफिक प्रबंधन, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और हिम्मत ऐप से जुड़ी सुविधाओं को लेकर जनता की संतुष्टि का स्तर मापा जाए। इसके लिए थर्ड-पार्टी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिससे पुलिस की जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन हो सके।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत दिल्ली में अवैध घुसपैठ और अपराध नियंत्रण को लेकर ठोस रणनीति अपनाई जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और सख्त किया जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली में आधुनिक

महत्वपूर्ण निर्देश

- Interstate gangs को रुथलेस अप्रोच के साथ समाप्त करना
- कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरुरत नहीं होगी
- डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने लेवल पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगायें और जनता की समस्याओं का निराकरण करें
- पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और इसका त्वरित हल निकालें
- जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार 'मॉनसून एक्शन प्लान' बनाए

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का मानना है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार आपसी सहयोग से ही राष्ट्रीय राजधानी को अपराध मुक्त और एक आदर्श राजधानी बना सकती हैं। उन्होंने यातायात प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली में अपराध और अव्यवस्था को खत्म करने की दिशा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सुरक्षा प्रणाली को लागू करने, डिजिटल निगरानी को मजबूत करने और पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

28 फरवरी, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री श्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर और समन्वय पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक सुरक्षा को और उन्नत करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधों पर नियंत्रण करने से संबंधित कई सुझावों और उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को इंटरस्टेट गैंग्स के सफाए के लिए 'रुथलेस अप्रोच' अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को कठोर और प्रभावी कदम उठाने होंगे। निर्देश दिए कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाना स्तर पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा सभी एसीपी अपने क्षेत्र के थानों में दर्ज गंभीर मामलों की स्वयं मॉनीटरिंग करें। दिल्ली पुलिस को अगले एक साल तक प्रत्येक तीन महीने के अंतराल में अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने होंगे, जिसे बाद में हर डेढ़ महीने में किया जाएगा।

> **अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए।**
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

श्री अमित शाह ने नार्कोटिक्स के मामलों में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया, जिससे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी होगी। गृह मंत्री ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी (जेजे क्लस्टर) क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर 25 सुरक्षा समितियों का गठन किया जाए। यदि ये सफल होती हैं तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।

दिल्ली सरकार को मॉनसून के दौरान संभावित जलभराव से निपटने के लिए श्री अमित शाह ने 'मॉनसून एक्शन प्लान' तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, दिल्ली की सड़कों पर खराब बसों के कारण लगने वाले जाम को रोकने के लिए डीटीसी की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) तैनात करने का सुझाव दिया, ताकि जल्द से जल्द बसों को हटाया जा सके।■

श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्रों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया।

त्रिपुरा सरकार ने वितरित किए 2800 नियुक्ति पत्र

त्रिपुरा में अब भेदभाव, सिफारिश व भ्रष्टाचार के बिना पारदर्शी तरीके से मिल रही नौकरियां

ब्यूरो

प्रकार की कार्ययोजना से त्रिपुरा में सक्रिय हथियारबंद समूह क्रमागत तरीके से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इससे राज्य में शांति और स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के प्रभावी सुरक्षा अभियान और पुनर्वास नीतियों के चलते उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने का निर्णय लिया। यह घटनाक्रम पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के खात्मे और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

05 फरवरी, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसी आशय में बात की। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा सरकार में नौकरी के लिए 2800 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में आयोजित ये कार्यक्रम एक युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि आज 2437 मल्टी टास्किंग स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के 370 पदों पर नियुक्ति के साथ ही इन लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही ये 2807 लोग आज से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन गए हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 10 साल में त्रिपुरा में तीन समझौते कर राज्य में स्थायी शांति लाने का काम किया है। त्रिपुरा में ब्रू-रियांग जाति के भाइयों-बहनों को स्थायी निवास और शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियां देकर उनके जीवन में नया बदलाव लाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के सभी विद्रोही समूह सरेंडर कर मेनस्ट्रीम में आ चुके हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के नेतृत्व में आज त्रिपुरा भटकाव की जगह भागीदारी, रुकावट की जगह रफ्तार और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि त्रिपुरा में सबसे बड़ा कार्य भ्रष्टाचार और अशांति को समाप्त करना रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है।

> **'सरकार ने ब्रू-रियांग बहनों-भाइयों को स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियां देकर उनके जीवन में नया बदलाव लाने का काम किया।'**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

स्व से सर्व, अहम से वयम, संकल्प से सिद्धि और वैराग्य से समाधि तक ले जाता है योगः श्री अमित शाह

ब्यूरो

तमिल संस्कृति अपनी प्राचीन और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ भारत के विविध और गौरवशाली इतिहास का एक अहम स्तंभ मानी जाती है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 26 फरवरी,2025 को कोयंबटूर (तमिलनाडु) में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि उत्सव में भाग लिया। यह आयोजन आध्यात्मिक उत्साह और सशक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक गाथा तमिल संस्कृति के योगदान के बिना अधूरी है। उन्होंने तमिलनाडु को संतों, ऋषियों और साधकों की अनंत भूमि बताया और यह भी कहा कि यह प्रदेश आज भी सच्ची आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बना हुआ है।

आदि योगी की विशाल प्रतिमा के सान्निध्य में श्री अमित शाह के शब्दों ने वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के अंतर्मन को प्रभावित किया। उन्होंने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरू की भी सराहना की, जिन्होंने युवाओं को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस विशाल आयोजन की विशिष्टता यह रही कि यहां बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए व्यापक और चाक-चौबंद प्रबंध किए गए। कोयंबटूर जिला प्रशासन ने पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य किया। सुरक्षा अधिकारियों ने अग्रिम निरीक्षण किए और ईशा योग केंद्र तक जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की।

भीड़ प्रबंधन के तहत सख्त उपाय अपनाए गए, जिनमें चेक पॉइंट्स, निगरानी कैमरे और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें शामिल थीं। इन उपायों ने यह सुनिश्चित किया कि यह आध्यात्मिक समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो।

महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक पक्ष को रेखांकित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और जागरण की रात्रि है। उन्होंने बताया कि यह शुभ रात भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की प्रतीक है, जो आत्मा और परमात्मा के एकत्व का संदेश देती है और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की राह खोलती है।

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि सोमनाथ से केदारनाथ, पशुपतिनाथ से रामेश्वरम और काशी से कोयंबटूर तक भारत के कोने-कोने में शिवभक्ति की गूंज है। विशेष रूप से उन्होंने यह उल्लेख किया कि तमिलनाडु वह पावन भूमि है, जहां हर पत्थर, मंदिर और अनुष्ठान में आध्यात्मिकता जीवंत रूप से प्रवाहित होती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ईशा फाउंडेशन

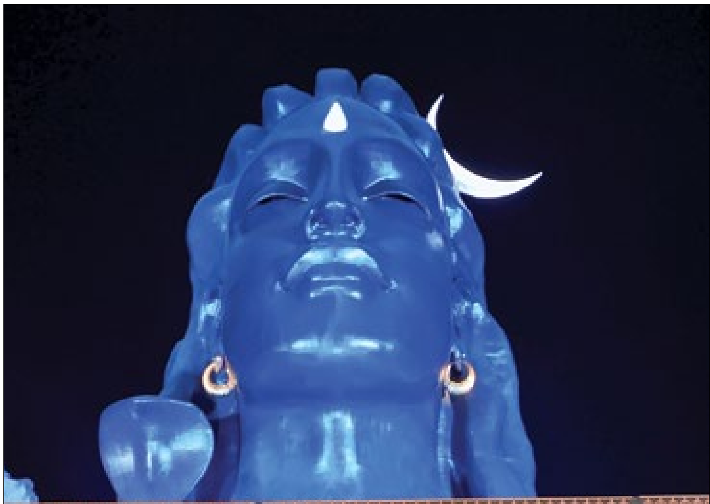

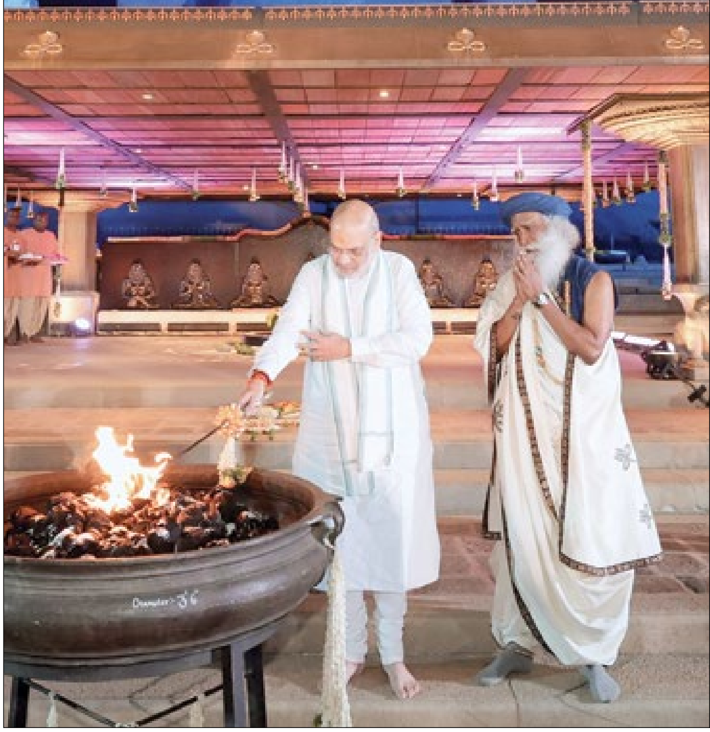

भारत के आध्यात्मिक इतिहास का कोई भी उल्लेख तब तक अधूरा माना जाएगा, जब तक उसमें समृद्ध तमिल संस्कृति का उल्लेख न हो। तमिलनाडु ऐसी पावन भूमि है, जहां आध्यात्मिकता के असंख्य जीवंत स्वरूप आज भी विद्यमान हैं। यह प्रदेश ज्ञान और भक्ति की एक अखंड परंपरा को युगों से आगे बढ़ाता आ रहा है।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि उत्सव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे 'अद्वितीय, अवर्णनीय और कल्पना से परे' बताया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है, जिसने ध्यान और ऊर्जा जैसी जटिल अवधारणाओं को लाखों लोगों के लिए जीवंत अनुभव में परिवर्तित कर दिया है।

भगवान शिव का उल्लेख करते हुए श्री अमित शाह ने उन्हें 'सनातन सत्ता, प्रथम योगी और सृष्टि का मूल आधार' बताया। उन्होंने कहा कि शिव संहार, सृजन, सत्य और सौंदर्य, 'शंभु' और 'स्वयंभू' दोनों हैं। वे भोलेनाथ हैं, महाकाल हैं और सबसे प्रमुख रूप में, आदियोगी हैं, जो आज भी आत्म-ज्ञान की खोज में लगे साधकों के प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं।

योग की चिरस्थायी प्रासंगिकता पर बल देते हुए श्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर गौरव दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि 'स्व' से 'सर्व' और 'अहं' से 'वयं' की आध्यात्मिक यात्रा है। यह संकल्प और सिद्धि तथा वैराग्य और आत्मबोध के बीच एक सेतु है।' उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं आज की तेज रफ्तार आधुनिक जीवनशैली में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं और मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली समग्र शक्ति के रूप में कार्य कर रही हैं।

इस उत्सव के समापन पर श्री अमित शाह ने कहा कि महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्पण फूल या अगरबत्ती नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्म-जागरण है। यही आंतरिक भावना इस पर्व को विशिष्ट बनाती है और इसे आध्यात्मिक रूपांतरण की शक्ति प्रदान करती है।

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से तुलना करते हुए, श्री अमित शाह ने कोयंबटूर में मनाई गई महाशिवरात्रि को 'भक्ति का महाकुंभ' बताया।

ईशा योग केंद्र में स्थापित भव्य आदियोगी प्रतिमा, प्रज्वलित अग्निकुंडों की आभा और पूरी रात गूंजते मंत्रोच्चारों ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया, जो भौतिक सीमाओं से परे था और महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक भावना को एक ब्रह्मांडीय आयोजन के रूप में सजीव कर गया।■

अंत्योदय: वंचितों के उत्थान की संकल्पना

अंत्योदय—अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का विचार—भारत के समावेशी विकास की आधारभूत अवधारणा है। 27 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। श्री अमित शाह ने नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक महान दूरदर्शी बताया, जिनका जीवन और कार्य आज भी देश को समावेशी प्रगति के मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नानाजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने कर्मयोग से साकार किया। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अंत्योदय कोई मात्र नारा नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास का वास्तविक आधार है, जहां सबसे पिछड़े और वंचित व्यक्ति की उन्नति को ही राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड माना जाता है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'अंत्योदय' के सिद्धांत को अपने शासन की आधारशिला मानते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मूर्त रूप देते हुए लगभग 60 करोड़ लोगों के जीवन को सार्थक रूप से बदला है। सरकार की योजनाओं में हर व्यक्ति के लिए आवास, स्वच्छता की व्यवस्था, साफ पेयजल की उपलब्धता, रसोई गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन वितरण, गांवों का विद्युतीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि ये सभी पहल नानाजी देशमुख द्वारा देखे गए आत्मनिर्भर और समर्थ गांवों 'गोकुल ग्राम' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम हैं। श्री अमित शाह ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में नानाजी देशमुख के अविस्मरणीय योगदान की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया, जो आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और बालमन में संस्कार व ज्ञान का बीजारोपण कर रहा है। पद्म विभूषण और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख का संपूर्ण जीवन निस्वार्थ सेवा और बलिदान की प्रेरणा देने वाला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है।

संबंधों में गर्मजोशी : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की।

भारत और अमेरिका ने रणनीतिक सहयोग के नए युग की नींव रखी

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे. ट्रम्प के आमंत्रण पर दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका रवाना हुए। श्री ट्रम्प के साथ बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्ववर्ती सहयोगों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाना था, साथ ही प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा तैयार करना भी इसका अहम लक्ष्य था।

13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति श्री ट्रंप ने वाशिंगटन डी.सी. स्थित व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया, जो दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और बहुलवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका COMPACT (Catalysing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) पहल की शुरुआत की गई। यह व्यापक पहल 21वीं सदी में सैन्य सहयोग, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी साझेदारी को नई दिशा देने के लिए तैयार की गई है, जिसके ठोस परिणाम एक वर्ष के भीतर देखने को मिलेंगे।

> **21वीं सदी प्रौद्योगिकी पर आधारित युग है। लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले देशों के बीच तकनीकी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, नई शक्ति और नए अवसर प्रदान कर सकता है। भारत और अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उन्नत तकनीकों में मिलकर कार्य करेंगे।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी**
> **प्रधानमंत्री**

भारत और अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस संदर्भ में भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए

एक नए 10 वर्षीय समझौते की घोषणा की गई, जिससे वायु, थल, जल, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य सहयोग को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा भारत की रक्षा क्षमताओं को और उन्नत करने के लिए अमेरिकी रक्षा उपकरणों के एकीकरण पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन पहलों के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। इस क्रम में भारत जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और छह P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदेगा, जिससे समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने 'मिशन 500' की घोषणा की, जिसका लक्ष्य भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसका पहला चरण इस वर्ष पूरा होने की संभावना है।

दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने के लिए लचीली और पारदर्शी व्यापार नीतियों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत और अमेरिका ने ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इस पहल के तहत तेल, गैस और असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित होगी।

अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया। इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के विस्तार और वैश्विक ऊर्जा कीमतों की स्थिरता के लिए संयुक्त पहलों पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने वाली साबित हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाने के ठोस कदम उठाए गए।

भारत और अमेरिका ने तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत-अमेरिका TRUST (Transforming the Relationship Utilising Strategic Technology) पहल की शुरुआत की। इस पहल का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है।

इस पहल के तहत भारत-अमेरिका अक अवसंरचना को गति देने के लिए एक रोडमैप (India-US Roadmap on Accelerating AI Infrastructure) तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय संसाधनों, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामक प्रक्रियाओं से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त दोनों देश अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के विकास हेतु औद्योगिक साझेदारियों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। क्वाड साझेदार के रूप में दोनों देशों ने समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

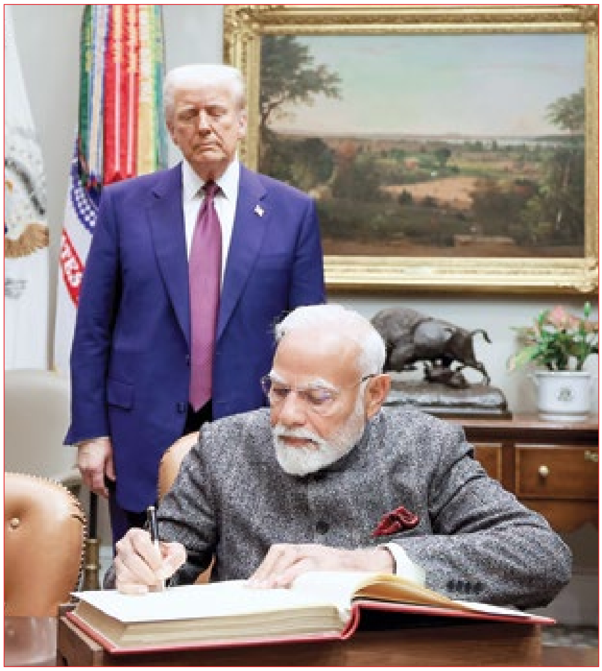

भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रणालियों को मजबूत करती है। हम साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री ट्रंप को इस वर्ष नई दिल्ली में प्रस्तावित क्वाड लीडर्स समिट (Quad Leaders' Summit) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह बैठक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी, औद्योगिक और शैक्षणिक स्तरों पर उच्च-स्तरीय संवाद और सहयोग को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।■

ऊर्जा सुधारों के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण

ब्यूरो

भारत न केवल अपनी वृद्धि को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के विकास को भी गति दे रहा है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 फरवरी, 2025 को वीडियो संदेश के माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत के ऊर्जा दृष्टिकोण और सुधारों पर जोर दिया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और भारत की ऊर्जा यात्रा में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा रणनीति को आकार देने वाले पांच प्रमुख स्तंभों को रेखांकित किया। ये स्तंभ हैं-संसाधनों का अधिकतम उपयोग, नवाचार, आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि ये सभी कारक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रहे हैं और आने वाले दो दशक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत के ऊर्जा लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे को नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाना, हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले दशक में भारत द्वारा प्राप्त उपलब्धियां इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में विश्वास पैदा करती हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाया है और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला पहला जी20 देश बन गया है।

प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रण में भारत की शानदार प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत ने 19% इथेनॉल मिश्रण स्तर हासिल कर लिया है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, CO_2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने भारत की अक्टूबर 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई और बायोफ्यूल (जैव ईंधन) उद्योग की विशाल क्षमता को उजागर किया, जिसमें 500 मिलियन मीट्रिक टन का सतत कच्चा माल उपलब्ध है। श्री मोदी ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान 'ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस' की स्थापना को भी सराहा, जिसमें अब 28 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी को समर्थन देने के लिए हाल के बजट प्रावधानों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:EV और मोबाइल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्रियों (जैसे कोबाल्ट पाउडर और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट) पर कर छूट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जो भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा गैर-लिथियम बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र (Non-Lithium Battery Ecosystem) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने 'पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना' का उल्लेख किया, जिससे घर और किसान ऊर्जा उत्पादक बन सकते हैं। यह योजना सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है तथा रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सेवा पारिस्थितिकी तंत्र (Non-Lithium Battery Ecosystem) विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के ऊर्जा भविष्य को भी आकार दे रहा है।■

मानवता का भविष्य गढ़ रही है AI

पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई कृत्रिम बुद्धिमता एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चा का मंच बना। प्रधानमंत्री ने AI एक्शन समिट में अपने संबोधन के दौरान कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाकर आम जनता का जीवन सरल बना सकता है। इसके साथ ही, अकसतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हमारी प्रगति को भी गति प्रदान कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमता की क्रांतिकारी क्षमता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह तकनीक 21वीं सदी में तेजी से मानवता के लिए कोड लिख रही है और विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को नया स्वरूप दे रही है।

राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता का प्रभाव अब तक की किसी भी तकनीकी प्रगति से कहीं अधिक व्यापक और दूरगामी है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमता के लिए ऐसे शासन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो साझा मूल्यों की रक्षा करे, जोखिमों को कम करे और पारदर्शिता व विश्वास को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि कृत्रिम बुद्धिमता गवर्नेंस केवल जोखिम प्रबंधन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक भलाई के लिए नवाचार को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनाना चाहिए। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमता के लोकतंत्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया ताकि इसकी समावेशी पहुंच, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों तक सुनिश्चित की जा सके। भारत-फ्रांस की सफल सतत विकास साझेदारी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उदाहरण देते हुए उन्होंने नवाचार-आधारित और उत्तरदायी भविष्य के निर्माण में सहयोग की महत्ता को रेखांकित किया।

> **पहले से ही एआई हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि समाज को भी नया रूप दे रही है। यह इस सदी में मानवता के लिए नया कोड लिख रही है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी**
> **प्रधानमंत्री**

कृत्रिम बुद्धिमता की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने वैश्विक हितधारकों से आग्रह किया कि वे संसाधन और प्रतिभा को संगठित करें, पारदर्शिता के लिए ओपन-सोर्स सिस्टम विकसित करें, निष्पक्ष डेटा सेट तैयार करें और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई समाधान तैयार करें। साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा खतरों, दुष्प्रचार और डीपफेक जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में 140 करोड़ नागरिकों के लिए खुले और सुलभ तकनीक के आधार पर विकसित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उल्लेखनीय सफलता को प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के एआई मिशन की रूपरेखा भी साझा की और बताया कि देश अपनी विविध जनसंख्या के अनुरूप एक स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (Large Language Model) को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।■

AI के उपयोग से 'म्यूल अकाउंट्स' होंगे बंद

साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स का प्रयास जरूरी

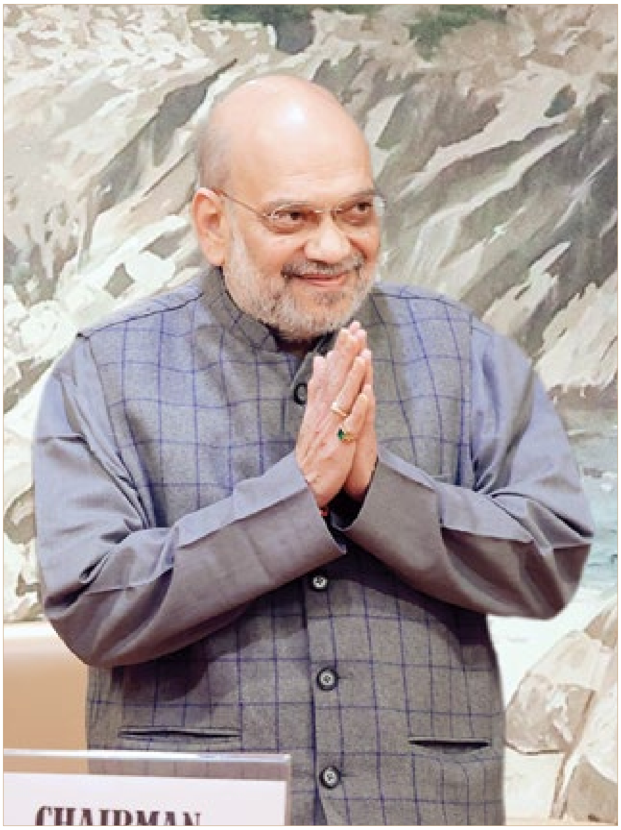

'AI का उपयोग कर 'म्यूल अकाउंट्स' की पहचान करने और ऑपरेट होने से पहले ही इन्हें बंद करने की दिशा में काम किया जाएगा।'

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व 'डिजिटल क्रांति' का साक्षी बन रहा है। देश में डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती पहुंच को देखते हुए साइबर क्षेत्र की चुनौतियों को समझकर ही उनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दिशा में साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया।

11 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। श्री अमित शाह ने बताया कि एआई तकनीक का उपयोग कर 'म्यूल अकाउंट्स' (धोखाधड़ी वाले बैंक खाते) की पहचान की जाएगी और इन्हें ऑपरेट होने से पहले ही निष्क्रिय किया जाएगा। इससे डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा और साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई संभव होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग और भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों के साथ समन्वय के माध्यम से म्यूल अकाउंट्स की पहचान करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे अकाउंट्स को ऑपरेट होने से पहले ही बंद करने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'रुकें, सोचें और फिर कार्रवाई करें' (STOP-THINK-TAKE ACTION) मंत्र के प्रति जागरुकता बढ़ाकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पोर्टल पर अब तक 1 लाख 43 हजार एफआईआर दर्ज की गई हैं और 19 करोड़ से अधिक लोग इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए '1930' हेल्पलाइन नंबर एक-सूत्री समाधान और विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए I4C की सिफारिश पर 805 ऐप्स और 3,266 वेबसाइट-लिंक्स को ब्लॉक

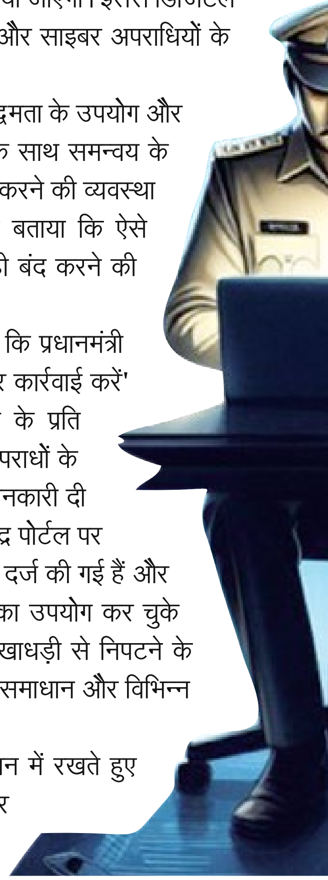

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

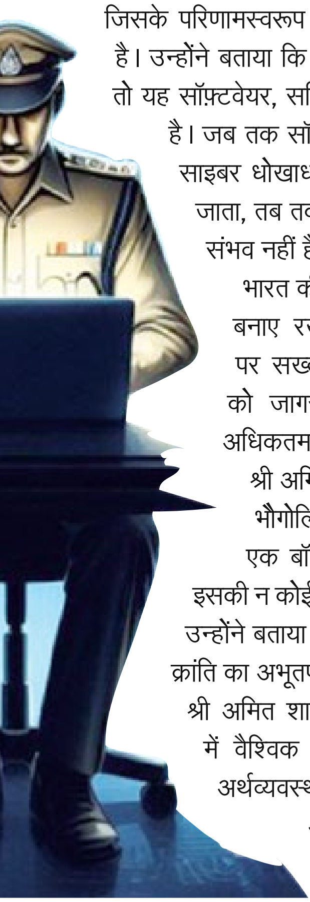

किया गया है। 399 बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रणाली में शामिल हो चुके हैं, 6 लाख से अधिक संदिग्ध डेटा साझा किया गया है, 19 लाख से अधिक म्यूल अकाउंट्स पकड़े गए हैं और ₹2,038 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन को रोका गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप साइबर हमलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि साइबर को यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो यह सॉफ़्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स का एक जटिल नेटवर्क है। जब तक सॉफ़्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स के स्तर पर साइबर धोखाधड़ी को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है।

भारत की डिजिटल प्रगति को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ नागरिकों को जागरुक करने और तकनीकी नवाचारों का अधिकतम उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध ने सभी भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। यह एक बॉर्डरलेस और फॉर्मलेस अपराध है, क्योंकि इसकी न कोई निश्चित सीमा है और न ही कोई तय स्वरूप। उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले एक दशक में डिजिटल क्रांति का अभूतपूर्व विस्तार देखा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय का

साइबर क्राइम ने सारी भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। यह 'बॉर्डरलेस' और 'फॉर्मलेस' क्राइम है, क्योंकि इसकी कोई सीमा या तय स्वरुप नहीं है। भारत पिछले एक दशक में 'डिजिटल क्रांति' का साक्षी बना है। 'डिजिटल क्रांति' के साइज और स्केल को समझे बिना हम साइबर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

लक्ष्य साइबर अपराध को इस स्तर तक नियंत्रित करना है कि किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की नौबत ही न आए। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए चार स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई गई है–समावेश (Convergence), समन्वय (Coordination), संचार (Communication) और क्षमता निर्माण (Capacity Building)। इन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्य और ठोस रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर-मंत्रालयी और गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है, जिससे सूचना के निर्बाध प्रवाह और प्रभावी संचार को सुनिश्चित किया जा सके। श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, CERT-IN, I4C, टेलिकॉम और बैंकिंग जैसे विभागों के बीच टेक्नोलॉजी और बैठकों के माध्यम से संवाद की स्वस्थ परंपरा शुरू की गई है। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्य, केंद्रीय गृह सचिव, श्री गोविंद मोहन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।■

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का अग्रदूत बना भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जर्मनी में आयोजित चौथे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

ब्यूरो

भारत ने 13 फरवरी 2025 को म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित चौथे 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने किया, जिन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया।

यह सम्मेलन विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहां चर्चा चार महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहीः बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना, आतंकवाद के वित्तपोषण के विकसित हो रहे तरीकों का विश्लेषण, वित्तीय समावेशन के साथ जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना और आतंकवादी वित्तपोषण तथा संगठित अपराध के बीच की कड़ी को तोड़ना।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद के वित्तपोषण तंत्र की दिन-ब-दिन बढ़ती जटिलता, विशेषकर उसकी सीमापार कड़ियों पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों के विस्तार के चलते आतंकी संगठनों को धन का प्रवाह अधिक गुप्त और पहचान से परे होता जा रहा है, जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर चल रही लड़ाई में सभी देशों के बीच ठोस एकता अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस वैश्विक खतरे से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। इस अवसर पर भारत ने स्थायी NMFT सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव भी दोहराया, जिसकी परिकल्पना पहली बार 2022 में नई दिल्ली में आयोजित NMFT सम्मेलन में की गई थी। यह सचिवालय आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को संस्थागत रूप देगा और इस दिशा में निरंतर गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री नित्यानंद राय ने इस महत्वपूर्ण संवाद की मेजबानी के लिए जर्मनी का आभार व्यक्त किया और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी जोखिमों की साझा समझ विकसित करने हेतु निरंतर बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सिंगापुर और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती हैं।

2018 से अब तक NMFT सम्मेलनों में भारत की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के प्रति भारत की संलिप्तता लगातार गहराती जा रही है। बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से भारत ने आतंकी वित्तीय प्रवाह को रोकने की अपनी क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सशक्त किया है।

भारत का संदेश सशक्त और स्पष्ट है—प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत पूरी मजबूती के साथ वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद के उन्मूलन और समस्त मानवता के लिए एक सुरक्षित व शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।■

नए आपराधिक कानूनों के तहत सुनवाई हुई तेज, मिल रहा है न्याय

एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इन कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। खास यह है कि समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव पहले ही दिखाई देने लगा है।

ब्यूरो

नए आपराधिक कानून' नागरिक पहले-न्याय पहले-गरिमा पहले' के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन्हें दंड के बजाय न्याय केंद्रित बनाया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन कानूनों ने ट्रायल प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है। इनके लागू होने से नागरिकों में समय पर न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। अब सभी आपराधिक मामलों को नए कानूनों के तहत दर्ज किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने आपराधिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए एक संगठित ढांचा तैयार करते हुए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकें। जो मामले पहले वर्षों तक लंबित रहते थे, वे अब कुछ ही महीनों में निपटाए जा रहे हैं। यह बदलाव देश में कानून के शासन को मजबूत करने और न्याय प्रक्रिया की गति को तेज करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नई व्यवस्था के तहत कुछ मामलों को देखें, जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाया गया।

आंध्र प्रदेशः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला

आंध्र प्रदेश में एक मासूम बच्ची के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अदालत ने आरोपी को 25 साल की कठोर कैद की सजा दी, जिससे बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश गया है। केस संख्याः Cr. No. 126/2024 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सहपठित 6 लगाया गया। मामला थानाः रामभद्रपुरम, बोबिली (R) सर्कल, विजयनगरम जिला का है। यहां 5 माह की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। शिकायत दर्ज होने पर घटनास्थल की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भेजी गई। इन रिपोर्ट के आधार पर चलाये गये मुकदमे में अदालत ने आरोपी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले ने न्याय प्रणाली में तेजी और सख्ती के नए युग की शुरुआत कर दी है।

सार्वजनिक उपद्रव मामले में 17 दिनों में सुनवाई पूरी, दोषी को सजा

चंडीगढ़, IT पार्कथाना क्षेत्र यह घटना घटी। सार्वजनिक उपद्रव से जुड़े एक मामले (FIR No. 54, 17.09.2024) में अदालत ने महज 17 दिनों में सुनवाई पूरी कर दी। इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 6 महीने की प्रोबेशन, ₹10,000 जुर्माना और ₹2,000 मुकदमा खर्च भरने की सजा सुनाई गई। चंडीगढ़, इंडस्ट्रियल एरियामें वाहन चोरी से जुड़े एक मामले (FIR No. 650, 21.07.2024) में चंडीगढ़ पुलिस ने डिजिटल सबूतों का प्रभावी उपयोग किया। जांच के दौरान e-Sakshya एप्लिकेशन के माध्यम से तलाशी और बरामदगी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई, जिससे मामला मजबूत हुआ। पुलिस ने महज 19 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी और 151 दिनों में अदालत ने दोषसिद्धि कर दी। आरोपी को 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा CCTNS, e-Sakshya और e-Prosecution जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग से मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है। नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक पीड़ित-केंद्रित और प्रभावी बन रही है।

उत्तर प्रदेश में यौन शोषण का मामला: 60 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को 6 वर्षीय बच्ची के यौन शोषण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त ने बच्ची को भोजन देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2), 127(2), 351(2) के तहत 13 जुलाई, 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और मात्र 14 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे सभी कानूनी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो गईं।

अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद अभियुक्त के खिलाफ BNS की धारा 65(2), 127(2), 351(2) और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। तेजी से हुई सुनवाई के बाद 25 अक्टूबर, 2024 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि धारा 65(2) BNS के तहत 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसमें से ₹3 लाख पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। यह मामला दर्शाता है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय प्रणाली कितनी प्रभावी और त्वरित हो गई है। सरकार की यह पहल तेज न्याय, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है।

मां ने अपनी 7 साल की बेटी को ₹50 हजार में बेचा, कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा

बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मां ने अपनी 7 वर्षीय मासूम बेटी को ₹50 हजार में बेच दिया। इस गंभीर अपराध में कुल चार लोगों को दोषी करार दिया गया है। सभी को कठोर सजा सुनाई गई है। यह मामला FIR संख्या 328/2024 के अंतर्गत 21 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली, तो पूरा मामला सामने आया। मामले की चार्जशीट 13 सितंबर 2024 को दाखिल हुई थी। न्यायालय ने 23 जनवरी 2025 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और 25 जनवरी 2025 को सजा का ऐलान किया। धारा 93 BNS के तहत आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई।

धारा 98 BNS के तहत 10 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माना, धारा 111(5) BNS के तहत 20 साल की कठोर कारावास और ₹5 लाख जुर्माना, उम्रकैद की सजा (कठोर श्रम सहित) और ₹50,000 का जुर्माना, अन्य तीन दोषियों को धारा 98 BNS के तहत 10 साल की सजा और ₹20,000 जुर्माना, धारा 99 BNS के तहत 14 साल की सजा और ₹20,000 जुर्माना, धारा 111(5) BNS के तहत 20 साल की सजा और ₹5 लाख का जुर्माना, उम्रकैद की सजा (कठोर श्रम सहित) और ₹50,000 जुर्माना लगाया गया।

यह मामला राज्यभर में मानवता को शर्मसार करने वाला उदाहरण बन गया है, जिसमें खुद मां ने अपनी बेटी की मासूमियत और जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अदालत के इस कठोर फैसले से समाज में एक सख्त संदेश गया है कि मासूम बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बुलंदशहर: भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के सिकंद्राबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर त्वरित कार्रवाई की। न्यायालय ने मामले में जब्तीकरण/कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। 13 अगस्त, 2024 को अनाज मंडी, नया गंज, सिकन्द्राबाद निवासी की दुकान के गल्ले से ₹5 लाख की चोरी हो गई थी। 02 सितंबर 2024 को पीड़ित की शिकायत पर सिकंद्राबाद पुलिस ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया। दो सितंबर 2024 को तीनों अभियुक्तों को काले रंग की के टीएम मोटरसाइकिल (UP-13CK-6871) के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि चोरी के पैसों से ₹2,33,000 में मोटरसाइकिल और ₹26,999 में मोबाइल फोन खरीदा था। पुलिस ने नकद बरामद किया। चोरी की रकम से संपत्ति खरीदने के कारण BNS की धारा 317(2) भी जोड़ी गई। पुलिस ने जब्तीकरण/कुर्की की कार्रवाई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के तहत याचना दायर की। 13 नवंबर 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने जब्तीकरण/कुर्की के आदेश पारित कर दिए। आदेश के अनुसार, अभियुक्तों से बरामद मोटरसाइकिल (UP-13CK-6871) और मोबाइल फोन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के तहत जब्त किया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस व न्यायपालिका ने त्वरित कार्रवाई की। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, बरामदगी और न्यायालय के आदेश से न्याय प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता का स्पष्ट उदाहरण मिलता है।

बिहार के एनडीए के सभी सांसदों ने संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की, इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे।

तेज गति से प्रगति करता भारत

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार कर्नाटक के कोडगु की बायलाकुप्पे तिब्बती बस्ती में।

ब्यूरो

12 फरवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। श्री नित्यानंद राय ने संत शिरोमणि रविदास एवं बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने लोगों को आगाह किया कि कुछ लोग समाज में भेदभाव और वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। संत रविदास ने समाज को जोड़ने का काम किया और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।

इस मौके पर पटना के बापू सभागार में आयोजित विकास मित्रों के संवर्धन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अपने संकल्प को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 2009 में महादलित विकास मिशन की शुरुआत की गई थी। इस पहल के तहत 9,707 विकास मित्र आज बिहार में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी, श्री जनक राम आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ।

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय सहित बिहार के एनडीए के सभी सांसदों ने सात फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बिहार के विकास और इसकी समृद्ध विरासत को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने 13 फरवरी को कोडागु, कर्नाटक में स्थित बायलकुप्पे तिब्बती बस्ती का दौरा किया। एफटीसीआई (भारत में तिब्बती सहकारी समितियों का महासंघ) में उनका स्वागत किया गया। बाद में गोल्डन मंदिर, सेरा लाची मठ और सेरा लाची विश्वविद्यालय की यात्रा की। इसके अलावा ऑर्गेनिक रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया और तिब्बती समुदाय से बातचीत की।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने अकादमिक हाइट्स स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह में 08 फरवरी को शिरकत की। इस समारोह में छात्रों और शिक्षकों को लगातार सफलता की शुभकामनाएं भी दीं।■

क्षेत्रीय परिषदें: भारत के संघीय ढांचे में समरसता और विकास के स्तम्भ

अनुराधा प्रसाद

पूर्व सचिव,
अंतर-राज्य परिषद सचिवालय,
भारत सरकार

भारत की सक्रिय संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षेत्रीय परिषदें एक शांत लेकिन प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में एकता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भाग-III के अंतर्गत गठित ये मंच—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय परिषदें—राज्यों के आपसी सहयोग के साथ-साथ केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को भी सुदृढ़ करने के लिए स्थापित की गई थीं।

क्षेत्रीय परिषदें संवाद और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती हैं, जहां केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच भी आपसी मुद्दों को चर्चा और सहमति के जरिए सुलझाया जा सकता है। ये परिषदें सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती हैं, जिससे खुले और रचनात्मक विचार-विमर्श की गुंजाइश बनी रहती है। इन्हें विशिष्ट बनाने वाला तत्व है इनका क्षेत्रीय दृष्टिकोण और व्यावहारिक रवैया, जो परस्पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े पड़ोसी राज्यों को साथ लाकर क्षेत्रीय समस्याओं के साझा समाधान को संभव बनाता है।

क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य न केवल दूरदर्शी हैं, बल्कि व्यवहारिक भी हैं—इनका मकसद राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और विकासात्मक योजनाओं को तेजी से लागू करना है। ये परिषदें आपसी सहयोग का वातावरण बनाकर राज्यों को अपने विचार, अनुभव और नवाचार साझा करने का अवसर देती हैं, जिससे मतभेदों को सामूहिक प्रगति के अवसरों में बदला जा सकता है।

2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय परिषदों को नई सक्रियता और गति प्रदान की है। पहले जहां ये परिषदें केवल औपचारिकता तक सीमित थीं, अब ये नीतिगत विमर्श और ठोस निर्णयों की प्रभावी मंच बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर दिए गए जोर को इन परिषदों में स्वाभाविक प्रतिध्वनि मिली है, जो अब संवाद और निर्णय लेने के इंजन के रूप में काम करती हैं। 2004 से 2014 के बीच केवल 25 बैठकें आयोजित हुई थीं, जिनमें 469 विषयों पर चर्चा कर 448 मामलों का समाधान किया गया। इसके विपरीत, 2014 से फरवरी 2025 के बीच 61 बैठकें हुईं, जिनमें 1,541 विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और 1,280 मुद्दों का समाधान हुआ। यह बैठकों की संख्या में 140% और हल किए गए मामलों में 185% की प्रभावशाली बढ़ोतरी को दर्शाता है।

> **जब देश 2047 में विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, तब क्षेत्रीय परिषदों को सहकारी संघवाद के सक्रिय मंच के रूप में लगातार विकसित होते रहना होगा।**

क्षेत्रीय परिषदें न केवल क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की, भूमि हस्तांतरण, खनन, बलात्कार के मामलों की शीघ्र जांच और पोक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना सहित 18 महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में किफायती आवास, पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण उन्मूलन, स्कूली बच्चों के ड्रॉपआउट दर में कमी लाना, और प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को मजबूत करने जैसे कई राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जो यह दर्शाता है कि परिषदें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा, जब यह लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है कि प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या डाक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, तब पुणे बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस दूरी को और घटाकर 3 किलोमीटर किया जाए, ताकि नागरिकों को वित्तीय सेवाएं और अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

भविष्य की ओर देखते हुए, क्षेत्रीय परिषदें डिजिटल बुनियादी ढांचे और साइबर अपराध जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत का संघीय ढांचा चुस्त और दूरदर्शी बना रहे। जब देश 2047 में विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, तब क्षेत्रीय परिषदों को सहकारी संघवाद के सक्रिय मंच के रूप में लगातार विकसित होते रहना होगा। राज्यों को इन मंचों का बेहतर उपयोग कर अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना चाहिए, और केंद्र को राज्यों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता निरंतर बनाए रखनी होगी।■

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 14 फरवरी, 2025 को हल्द्वानी, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समापन समारोह में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा को झंडा सौंपा।

14 फरवरी को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समस्या की पहचान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा में श्री पीएम नायर, भापुसे (से. नि.) एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विशेषज्ञ शामिल थे।

सीआईएसएफ की इकाई एएसजी मुंबई ने 22 फरवरी, 2025 को खारघर, नवी मुंबई में सायक्लोथॉन का आयोजन किया, जिसमें सीआईएसएफ की फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में सीआईएसएफ अपर महानिदेशक, दक्षिण क्षेत्र मुख्य अतिथि थे। विजेताओं को पदक और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

नोटः लेख की जानकारी विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और सरकारी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

हमने एक आकांक्षी जिले की कल्पना की थी। हर राज्य में हमने कहा कि हमें उस जिले को राज्य के मानकों तक लाना है। केंद्र सरकार ने इसकी योजना बनाई। हमारे आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में सभी राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम इसके बहुत अच्छे परिणाम देख रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India https://bprd.nic.in